

वी. के. बाली जे. के समक्ष

विजय सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

वित्तीय आयुक्त, हरियाणा एवं अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. न./1983 का 1063

20 नवंबर, 2002

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887-धारा 4, 14 और 77-याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत बंधक विलेख-याचिकाकर्ता गिरवी भूमि को किराए पर दे रहा है-प्रतिवादी-पक्षों के बीच केवल मौखिक समझौता, इनकार याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित कोई भी बंधक विलेख और किराए का भुगतान नहीं करना - राजस्व न्यायालय ने किराए की वसूली के लिए धारा 77 के तहत याचिकाकर्ता के मुकदमे का फैसला सुनाया - उत्तरदाताओं ने सिविल न्यायालय में बंधक विलेख को चुनौती दी - सिविल न्यायालयों के निष्कर्ष भी के पक्ष में याचिकाकर्ता-कलेक्टर, आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के आदेश जिसमें दोनों पक्षों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है, खारिज किया जा सकता है।

माना गया कि 1887 के अधिनियम की धारा 4 के खंड 6 में "मकान मालिक" की परिभाषा को धारा 4 के शुरुआती शब्दों द्वारा संदर्भ के अधीन बनाया गया है। धारा 14 में "मकान मालिक" शब्द का उपयोग "किरायेदार" के संबंध में नहीं किया गया है। ". अधिनियम की धारा 14 उस

विजय सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त हरियाणा और अन्य

व्यक्ति के दायित्व से संबंधित है जिस पर उसके द्वारा कब्जा की गई भूमि है। अधिनियम की धारा 77 में यह प्रावधान है कि "निम्नलिखित मुकदमे राजस्व न्यायालयों द्वारा स्थापित किए जाएंगे, और सुने जाएंगे और निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें खंड (एन) में मुकदमे भी शामिल हैं, यानी धारा 14 के तहत वसूली योग्य राशि के लिए मकान मालिक द्वारा किया गया मुकदमा।

इसके अलावा, यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि याचिकाकर्ता एक गिरवीदार है जबकि उत्तरदाता 5 से 9 गिरवीदार-जर्मीदार हैं। इससे यह भी साबित होता है कि गिरवी कब्जे के साथ थी। वादी का कथन है कि उसने यह जमीन प्रतिवादियों को किराये पर दी थी और इसीलिए वे जमीन पर काबिज हैं।

बंधक कब्जे के साथ होने के बावजूद और याचिकाकर्ता द्वारा कब्जा केवल पक्षों के बीच मौखिक समझौते पर अलग किया गया था कि 1/3 बटाई का भुगतान उसे किया जाएगा, इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि यह विश्वास साधारण कारण से है कि यदि वादी के इस दावे पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो मकान मालिक-बंधककर्ता केवल जबरन कब्जा कर सकते हैं। किसी भी मामले में, यानी यदि याचिकाकर्ता ने यह भूमि उत्तरदाताओं 5 से 9 को किराए पर दी होगी या उत्तरदाताओं 5 से 9 ने इस भूमि को बलपूर्वक लिया होगा, तो वे याचिकाकर्ता को किराया देने के हकदार होंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चौधरी।

प्रतिवादियों की ओर से वकील जसवन्त सिंह।

निर्णय

न्यायमूर्ति वी.के. बाली,. (मौखिक)

- (1) क्या कब्जे वाला गिरवीदार मकान मालिक/बंधककर्ता से किराए की वसूली के लिए मुकदमा/आवेदन सफलतापूर्वक रख सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे वर्तमान मामले में निर्धारण की आवश्यकता है।
- (2) मामले के संक्षिप्त तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 30 अक्टूबर, 1979 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय में पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 (इसके बाद '1887 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत किराए के लिए मुकदमा दायर किया था। चौथे प्रतिवादी, जिंद ने इस आधार पर कहा कि उत्तरदाताओं 5 से 9, 188 कनाल 8 मरला भूमि के मालिकों ने, 4 जून, 1971 के पंजीकृत बंधक विलेख के माध्यम से उक्त भूमि को प्रतिवादी के पास गिरवी रख दिया था। 3 तारीख को मई, 1972, रुपये की अतिरिक्त राशि के लिए कब्जे के साथ अतिरिक्त बंधक बनाया गया था। एक पंजीकृत बंधक विलेख के तहत 30,000। याचिकाकर्ता का यह भी मामला था कि इसके बाद उसने विवादित भूमि को 1/3 बटाई पर

उत्तरदाताओं 3 से 9 को खरीफ 1971 से पट्टे पर दे दिया, जिस पर उपरोक्त उत्तरदाताओं द्वारा खेती की जा रही थी, लेकिन याचिकाकर्ता को कोई बटाई का भुगतान नहीं किया गया था। उपरोक्त तरीके से, याचिकाकर्ता ने रुपये का दावा किया। रबी 1972 से रबी 1974 तक बटाई के खाते में 15,500 रु.

- (3) इससे पहले कि मैं मामले के तथ्यों के साथ आगे बढ़ूं, वादी के पैराग्राफ 3 को पुनः प्रस्तुत करना (अंग्रेजी में अनुवादित) प्रासंगिक होगा। वही इस प्रकार पढ़ता है:-

"कि वादी स्वयं इस भूमि पर खेती करना चाहता था, लेकिन उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया कि वादी यह भूमि उन्हें किराए पर दे दे और वे उसे किराया देते रहेंगे। उत्तरदाताओं के अनुरोध पर, वादी ने भूमि उन्हें दे दी। खरीफ 1971 से 1/3 बटाई पर उत्तरदाताओं से विवाद हुआ और तब से वादी के अधीन भूमि पर उत्तरदाताओं का निरंतर कब्जा है। पक्षों के बीच अच्छे संबंधों को देखते हुए, भूमि को किराए पर देने के संबंध में कोई लेखन नहीं किया गया था। विवाद।"

- (4) उत्तरदाताओं 1 से 3 की ओर से दायर लिखित बयान पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा पारित आदेश, अनुलग्नक पी -1 से स्पष्ट है। लगान की वसूली के मामले में, प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं ने यह रुख अपनाया था कि उन्होंने याचिकाकर्ता के साथ विवाद में जमीन को कभी गिरवी नहीं रखा था और उसे कभी भी कब्जा नहीं दिया था, न ही बटाई पर लिया था। वे शुरू से ही कब्जे में थे और याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई

अतिरिक्त बंधक निष्पादित नहीं किया गया था और यदि ऐसा कोई बंधक विलेख था, तो वह जाली था और इसलिए, मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए। पार्टियों की दलीलों पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने निम्नलिखित 8 मुद्दे तय किए: -

- "1. जैसा कि आरोप लगाया गया है, क्या वादी को वाद की भूमि पर कब्जे के लिए गिरवी रखा गया है? ओपीपी
2. क्या प्रतिवादी वाद के वादी के अधीन कथित अवधि के लिए 1/3 बटाई भूमि पर किरायेदार हैं?
3. यदि अंक क्रमांक 2 सिद्ध हो तो बटाई की राशि क्या है?
4. क्या इस न्यायालय के पास इस मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है?
5. क्या आवश्यक पक्षकारों के शामिल न होने पर वाद वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है?
6. क्या मुकदमे पर रोक लगाई जा सकती है क्योंकि पक्ष पहले ही सिविल कोर्ट में जा चुके हैं?
7. क्या वादी को वर्तमान वाद दाखिल करने से रोक दिया गया है क्योंकि वादी द्वारा गिरदावरी में सुधार की अपील राजस्व अधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई है?
8. राहत।"

- (5) ऊपर दिए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वादी के पक्ष में निष्कर्ष लौटाते हुए, याचिकाकर्ता के मुकदमे पर रुपये की राशि का फैसला सुनाया गया। 13,594.10 पीएस. लागत के साथ. व्यथित होकर, कुछ उत्तरदाताओं, अर्थात् गोपी, हरि नंदन और मुंशी ने विद्वान कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की, जिसे 24 अप्रैल, 1978 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के तहत अनुमति दे दी गई। याचिकाकर्ता ने व्यथित होकर, अब उपरोक्त आदेश को विद्वान आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के समक्ष चुनौती दी, लेकिन कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला, क्योंकि आयुक्त के समक्ष की गई अपील 3 मई, 1979 को खारिज कर दी गई (अनुलग्नक पी -3) और याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान से पहले दायर किया गया संशोधन वित्तीय आयुक्त को 9 अगस्त, 1982 को बर्खास्त कर दिया गया (अनुलग्नक पी-4)। इन आदेशों यानी अनुलग्नक पी-2, पी-3 और पी-4 के खिलाफ ही वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
- (6) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री राजेश चौधरी ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आदेश, अनुलग्नक पी-2 से पी-4 को संभवतः एकमात्र आधार के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है, जिस पर सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा मुकदमा पारित करने का आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं था और इसलिए, 1887 के अधिनियम की धारा 77 के तहत किराए की वसूली के लिए मुकदमा अक्षम था। इससे पहले कि मैं विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद के आलोक में प्रश्न का निर्धारण कर सकूँ, यह उल्लेख करना उचित होगा कि अंतर-पक्षीय मुकदमे में, सिविल कोर्ट ने वादी के पक्ष में एक निष्कर्ष दिया कि भूमि वास्तव में बंधक थी और कहा बंधक कब्जे के साथ था।

उत्तरदाताओं गोपी, हरि नंदन और मुंशी द्वारा दायर सिविल मुकदमे में ऊपर उल्लिखित दो बंधक कार्यों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह धोखाधड़ी का कार्य था और वास्तव में और वास्तविकता में, उन्होंने कभी भी अपनी जमीन गिरवी नहीं रखी थी। और इसके बावजूद यहां याचिकाकर्ता विजय सिंह जमीन पर जबरन कब्जा करने वाला था। इस मुकदमे को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और गोपी और अन्य द्वारा की गई अपील, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 20 जुलाई, 1978 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद द्वारा खारिज कर दी गई थी। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले का पैराग्राफ 12 इस प्रकार है: -

"संक्षेप में, मैं ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की पुष्टि करता हूं, कि वादी ने इस जमीन को कब्जे के साथ प्रतिवादी को गिरवी रख दिया था और बंधक विचार के लिए बहुत अधिक थे।"

- (7) राजस्व न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही के दौरान, बंधक के संबंध में निष्कर्ष याचिकाकर्ता के पक्ष में था।
- (8) इस निर्णय की शुरुआत में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रश्न को निर्धारित करने का अब समय आ गया है। "मकान मालिक" शब्द को 1887 के अधिनियम की धारा 4 के खंड 6 में परिभाषित किया गया है। यह इस प्रकार है: -

"मकान मालिक" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसके अधीन एक किरायेदार भूमि रखता है और जिसके तहत किरायेदार है, या लेकिन एक विशेष अनुबंध के लिए उस भूमि के लिए किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

विजय सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त हरियाणा और अन्य

(9) 1887 के अधिनियम की धारा 14 जमींदार की सहमति के बिना कब्जा की गई भूमि के भुगतान से संबंधित है। वही इस प्रकार पढ़ता है:-

"मकान मालिक की सहमति के बिना कब्जा की गई भूमि पर कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति उस भूमि के कब्जे के उपयोग के लिए पिछले कृषि वर्ष में देय किराए की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, या यदि किराया उस वर्ष देय नहीं था, तो ऐसी दर जिसे न्यायालय निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्धारित करे।"

(10) पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील को सुनने के बाद न्यायालय का दृढ़ विचार है कि 1887 के अधिनियम की धारा 4 के खंड 6 में "मकान मालिक" की परिभाषा को धारा 4 के शुरुआती शब्दों द्वारा संदर्भ के अधीन बनाया गया है। धारा 14 में "मकान मालिक" शब्द का प्रयोग "किरायेदार" के संबंध में नहीं किया गया है।

(11) 1887 के अधिनियम की धारा 14 उसके कब्जे वाली भूमि के मालिक के दायित्व से संबंधित है। 1887 के अधिनियम की धारा 77 में प्रावधान है कि "निम्नलिखित मुकदमे राजस्व न्यायालयों में स्थापित किये जायेंगे, सुने जायेंगे और निर्धारित किये जायेंगे, जिनमें ये भी शामिल हैं: खंड (एन) में मुकदमा, यानी, धारा 14 के तहत वसूली योग्य राशि के लिए मकान मालिक द्वारा मुकदमा।

(12) जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का सवाल है, यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि याचिकाकर्ता एक गिरवीदार है जबकि उत्तरदाता 5 से 9 गिरवीदार-जमींदार हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि बंधक कब्जे के साथ था। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी का कथन है कि उसने यह भूमि प्रतिवादियों को किराये पर दी थी और इसी कारण बंधक होने के बावजूद भूमि पर उनका कब्जा है तथा कब्जा अलग कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को केवल पार्टियों के बीच मौखिक समझौते पर विश्वास करना होगा कि 1/3 बटाई का भुगतान उसे किया जाएगा। मैं कह सकता हूं कि यह विश्वास साधारण कारण से है कि यदि वादी के इस दावे पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो मकान मालिक-बंधककर्ता केवल जबरन कब्जा कर सकते हैं। किसी भी मामले में, यानी, यदि याचिकाकर्ता ने यह भूमि उत्तरदाताओं 5 से 9 को किराए पर दी होगी या उत्तरदाताओं 5 से 9 ने इस भूमि को बलपूर्वक लिया होगा, तो वे याचिकाकर्ता को किराया देने के हकदार होंगे। यह सटीक प्रश्न 1891 में **भोला नाथ बनाम दाना और अन्य**¹(1)के मामले में सामने आया था। डी के बाद **वज़ीर खान बनाम रैलिया रान** (2)² में अन्य निर्णय आया।

(13) भोला नाथ के मामले (सुप्रा) के तथ्यों से पता चलता है कि उक्त मामले में वादी प्रतिवादी संख्या 2 के बंधक के तहत कब्जे वाली कुछ भूमि का बंधक था। प्रतिवादी 1, 2 और 4 ने उससे जबरन कब्जा कर लिया था। इस प्रकार, वादी ने मुकदमा दायर किया और रुपये की

¹1) पंजाब रिकॉर्ड, खंड XXVI 1891 (नंबर 19), 114

(2) पंजाब रिकॉर्ड, खंड XXVI 1891 (नंबर 68), 328

विजय सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त हरियाणा और अन्य

वसूली की। सावन की फसल के नुकसान के रूप में 100, संबत 1945। इसके बाद, प्रतिवादी 1 और 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 4 के माध्यम से फिर से उसी भूमि पर जबरन खेती की और फिर उसने रुपये के मुआवजे का दावा किया। 200. वादी के आरोपों के अनुसार ये प्रतिवादी वादी की सहमति के बिना भूमि पर कब्जा किये हुए थे। उपरोक्त मामले में, प्लॉडेन और रो, जे.जे. की एक डिवीजन बेंच। निम्नानुसार आयोजित:-

"वादी के आरोपों के अनुसार, ये व्यक्ति "वादी की सहमति के बिना कब्जा की गई भूमि के कब्जे में थे," जो निस्संदेह उनके आरोपों पर धारा के अर्थ में "मकान मालिक" है

पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 14. धारा 4 के खंड (6) में मकान मालिक की परिभाषा को धारा 4 के शुरुआती शब्दों द्वारा संदर्भ के अधीन बनाया गया है। धारा 14 में "मकान मालिक" शब्द का उपयोग "किरायेदार" के संबंध में नहीं किया गया है, जिस व्यक्ति के बारे में वहां बात की गई है किरायेदार नहीं होना, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को इंगित करता है जो मकान मालिक होगा यदि भूमि पर उसकी सहमति के बिना कब्जा करने के बजाय उसकी सहमति से कब्जा कर लिया गया हो।

धारा 14 इस प्रकार कब्जा की गई भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के दायित्व की घोषणा करती है। धारा 77 में प्रावधान है कि "निम्नलिखित मुकदमे राजस्व न्यायालयों में स्थापित किए जाएंगे और उनकी सुनवाई और निर्धारण किया जाएगा, और कोई अन्य न्यायालय किसी भी विवाद या मामले का संज्ञान नहीं लेगा जिसके संबंध में ऐसा कोई मुकदमा स्थापित किया जा सकता है,"

और ऐसे मुकदमों में शामिल हैं खंड (एन) "धारा 14 के तहत वसूली योग्य राशि के लिए मकान मालिक द्वारा मुकदमा।"

(14) 5 से 9 उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री जसवन्त जैन, याचिकाकर्ता की ओर से जो आग्रह किया गया है उसका खंडन करने में असमर्थ हैं, लेकिन मुझे पूरी निष्पक्षता से यह उल्लेख करना होगा कि विद्वान वकील ने गोरधन में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था। **दास बनाम सांझा राम**³ (3) यह तर्क देने के लिए कि 1887 के अधिनियम की धारा 77 (3) (एन) के तहत मुकदमा सक्षम नहीं है। उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलता है कि वादी ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी उसका किरायेदार था और उसने उसे खरीफ़ 1962 से खरीफ़ 1963 तक ज़मीन की उपज नहीं दी थी और उसने रुपये का दावा किया था। उस अवधि के लिए उपज की कीमत 679 रुपये थी। इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि प्रतिवादी को 22 मार्च, 1964 को भूमि से बेदखल कर दिया गया था। किरायेदारी की अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किए गए किराए के बराबर राशि की वसूली के लिए वादी का मुकदमा 5 जनवरी, 1965 को शुरू किया गया था। प्रतिवादी द्वारा एक आपत्ति उठाई गई थी कि पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77(3)(एन) के कारण, मुकदमा सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और प्रतिवादी के खिलाफ स्थापित गुणों के आधार पर दावा करते हुए वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया। अपील पर, विद्वान जिला न्यायाधीश ने माना कि मुकदमा अधिनियम की धारा 77(3)(एन) के अंतर्गत आता है और इसलिए इसे सिविल न्यायालय के संज्ञान में

³ 1969 पी अल्ल आर 522

विजय सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त हरियाणा और अन्य

लेने से रोक दिया गया है और इस प्रकार मुकदमा खारिज कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह माना गया कि कब

पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 77(3)(एन) के तहत एक मुकदमा एक मकान मालिक द्वारा दायर किया गया है, प्रतिवादी को स्वीकृत अर्थ में किरायेदार होने की आवश्यकता नहीं है कि उसे पट्टे की भूमि पर कब्जा करना चाहिए। मुकदमा मकान मालिक द्वारा होना चाहिए। किरायेदार द्वारा जमीन का कब्जा छोड़ने और तकनीकी रूप से किरायेदार न रहने के बावजूद, उसके और जमीन के मालिक के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है, कानून ने उसे बकाया के लिए उत्तरदायी बना दिया है और ऐसे बकाया की वसूली की जा सकती है। राजस्व न्यायालय में अधिनियम की धारा 77(3)(एन). यह भी माना गया कि मकान मालिक द्वारा किराए के बकाया का मुकदमा सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस न्यायालय के विचार में, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मौजूदा मामले से कोई समानता नहीं है। यदि निर्णय को थोड़ा भी खींचा जाए तो वह वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध हो जाता है।

(15) ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। आदेश, अनुलग्नक पी-2 से पी-4 तक को अलग रखा जाता है और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, यानी अनुलग्नक पी-1 को बहाल किया जाता है। पार्टियों के उतार-चढ़ाव वाले भाग्य को देखते हुए, उन्हें अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा